

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3055/2026

Madan Lal S/o Bansi Lal, Aged About 27 Years, R/o Kawa Ki Dhani Bhikamkaur P S Matoda At Present Adarsh Nagar Phalodi Police Station Phalodi District Phalodi At Present Lodged At Central Jail Jodhpur

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Smtjassu Kanwar W/o Kishore Singh, R/o Near Kaka Market Rajiv Colony Phalodi P S Phalodi Mo 7023620698

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Gokulesh Bohra
For Respondent(s)	:	Mr. Sameer Pareek, PP with Mr. Omprakash Choudhary Mr. Jagdish Bhadu

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

23/03/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना फलौदी, जिला फलौदी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 282/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 64(1), 65(1), 137(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3ए/4(2) पॉक्सो एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में पीड़िता के बयान बतौर पी.डब्ल्यू.1 न्यायालय में हो चुके हैं, जिसमें मुख्य-परीक्षा में उसके चाचा द्वारा उसके साथ गलत काम करना तथा उसकी चाची द्वारा उनका सहयोग करना बताया है। प्रार्थी-अभियुक्त का नाम मुख्य-परीक्षा में नहीं बताया गया और मुख्य-परीक्षा के दौरान पहचान की कार्यवाही करने पर प्रार्थी-अभियुक्त को पीड़िता द्वारा कभी नहीं देखना बताया है। विद्वान अधिवक्ता

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से की गई जिरह में यह बताया है कि पुलिस वालों के कहने से मदनलाल का नाम मजिस्ट्रेट के सामने बयान में लिया था। प्रार्थी-अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कोई गलत काम नहीं किया था। प्रार्थी-अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया। मुस्तगीस अधिवक्ता द्वारा जमानत स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में पीड़िता के बयान बतौर पी.डब्ल्यू.1 हो चुके हैं। मुख्य-परीक्षा में उसके चाचा द्वारा उसके साथ गलत काम करना तथा चाची द्वारा चाचा का सहयोग करना बताया है। प्रार्थी-अभियुक्त का नाम मुख्य-परीक्षा में नहीं आया है और मुख्य-परीक्षा के दौरान पहचान की कार्यवाही करने पर प्रार्थी-अभियुक्त को पीड़िता द्वारा कभी नहीं देखना बताया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से की गई जिरह में यह बताया है कि पुलिस वालों के कहने से मदनलाल का नाम मजिस्ट्रेट के सामने बयान में लिया था। प्रार्थी-अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कोई गलत काम नहीं किया था। प्रार्थी-अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **मदनलाल पुत्र बंशीलाल** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J